न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–356 / 2022
Computer No.1298/2022

सीमा देवी बनाम राजेश आदि
प्रार्थना पत्र 156(3) द0प्र0सं0
थाना–कोखराज, जिला कौशाम्बी।

<u>**28.06.2022**</u>

पत्रावली आज प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये। सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी।

थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी ने विपक्षीगण पर प्रार्थिनी के साथ घर में घुस कर गाली गलौज करते हुए मार पीट करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप लगाया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी को सभी तथ्यों की जानकारी है तथा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य, 2007(59) ए0सी0सी0 739 तथा रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) एं0सी0सी0 50** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 दिनांक 28.07.2022 को पेश हो।

(सुशील कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।
ID No. UP 1772